न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 66/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00196

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

---प्रार्थी.

बनाम

किशनलाल आत्मज अंगद जाटव जर्ये कायम मुकामान श्री खेमचन्द पुत्र स्व0 श्री किशनलाल तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

---अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक
2. श्री महेश वैष्णव, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –12/10/2021

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम हनुवतखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 131 की रकबा 0.70 हे0 भूमि दिनांक 6.7.1982 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री महेश वैष्णव उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य मानते हुए आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए है किन्तु संलग्न प्रस्ताव के साथ खसरा गिरदावरी के नकल में फसल काश्त होना अंकित है, ऐसी स्थिति में प्रकरण जांच योग्य है ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ही बहस में कथन किया है कि प्रार्थी के पिता किशनलाल पुत्र अंगद जाति जाटव निवासी ग्राम रामगंजमण्डी को ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा दिनांक 6.7.1982 को परगना अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा आवंटन किया गया था । जिसका हाल खसरा नं0 131 रकबा 0.70 हेक्टेयर है । उक्त आवंटन के बाद निरन्तर अपनी आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी के पिता फौत होने पर उनके द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त की जा रही है । प्रार्थी द्वारा कृषि आराजी को कृषि योग्य बनाया गया और तभी से ही प्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज है । किसी भी आवंटन को 30 वर्ष बाद निरस्त नहीं किया जा सकता और ना ही माननीय न्यायालय को इसका क्षैत्राधिकार है । प्रार्थी की इस आराजी से आजीविका चल रही है क्योंकि प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई ना तो आराजी है और ना ही कोई रोजगार । प्रार्थी इसी आराजी पर कृषि कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करता है । अगर श्रीमान द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थी की आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थी व उसके परिवार की भूख मरने की स्थिति हो जायेगी । क्योंकि प्रार्थी अत्यन्त निर्धन व्यक्ति है तथा काफी वृद्व है, जिसकी उक्त आराजी के अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं है । अतः प्रार्थी क पिता को आवंटन विरूद्व कार्यवाही निरस्त होने योग्य होने से निरस्त फरया जाये ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण प्रेषित किया है तथा उक्त निरस्तीकरण के प्रार्थना पत्र क साथ संलग्न दस्तावेजों में खसरा गिरदावरी संवत 2069–72 की नकल भी प्रस्तुत की गई है । जिसमें आवंटित भूमि पर संवत 2069 में सरसों, संवत 2070 में धनिया, एवं संवत 2071 में सोया की फसले प्रार्थी द्वारा की जाना अंकित है । ऐसी स्थिति में कब्जा काश्त नहीं होने बाबत तथ्य अंकित करते हुए प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण हेतु भिजवाया जाना उचित नहीं लग रहा है । साथ ही अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब के साथ खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 2070 की पेश की गई जिसमें संवत 2067 में धनिया की संवत 2068 मे उड़द, एवं संवत 2069 में सरसों एवं संवत 2070 में धनियां की फसल होना अकित है । इससे यह तो स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त किया जा रहा है, तथा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की गई है । अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की पुष्टि मैं प्रस्तुत खसरा गिरदावरी अनुसार कब्जा काश्त करना साबित होता है । साथ ही यह आवंटन लगभग 35 वर्ष से भी अधिक पुराना है, यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई थी तो अब तक आवंटन निरस्त क्यों नही करवाया गया, जबकि अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त करना साबित किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

6. परिणामतः तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना जांच किये ही प्रस्तुत किया जाने से अस्वीकार किया जाता है । अप्रार्थी का कब्जा काश्त करना साबित होने से आवंटन निरस्त योग्य नहीं पाते है । प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटी किशनलाल आत्मज अंगद के वारिसान की जांच कर नियमों के परिपेक्ष्य में किशनलाल के विधिक वारिसान के नाम आवंटित भूमि का नामा0 दर्ज करते हुए खातेदारी अधिकार दिये जाने के पात्र हो तो खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही करें ।

7. **निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।**

12.10.21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा